राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1253/2014.. जिला...... जयपुर..........................

उनवान–मैसर्स वाटरवेल कन्टेनर्स प्रा.लि., जी–18ए बढ़ारना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री मनोहर पुरी,सदस्य

22.09.2014

अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सी.एल.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित।

यह अपील अपीलीय अधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, , जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23 व के तहत् निर्धारण वर्ष 2011–12 (दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2012) के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2014 में कायम की गयी मांग राशि में से 6,79,890/–की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी अस्वीकार किये जाने के कारण उक्त राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस संबंध में तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011–12 के लिये विधानसभा में बजट प्रस्तुति के समय दिनांक 09.03.2011 को यह घोषणा कि "प्लास्टिक वॉटर स्टोरेज टैंक" पर देय कर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयी है" । इस संबंध में बजट भाषण के बिन्दु संख्या 208 पर उक्त घोषणा अंकित है परन्तु इसके बावजूद, वित्त विभाग द्वारा गलती से "रोटो मोल्डेड प्लास्टिक वॉटर स्टोरेज टैंक" पर ही कर दर 5 प्रतिशत अधिसूचित की गयी है, जो प्रथम दृष्टया ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी बजट घोषणा के विपरीत है। अग्रिम तर्क दिया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गयी बजट घोषणा के आलोक में ही प्रकरण करारोपण योग्य है। अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मैसर्स नेस्ले इण्डिया प्रा.लि. एण्ड अदर्स 9 टैक्स अपडेट 185 व माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 608/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 30.03.2012 मैसर्स वैक्ट्रा इण्डस्ट्रीज लि., जी–554, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–प्रथम, जयपुर में पारित

निर्णय को प्रोद्धरित कर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया राशि 8,79,890/– पर रोक लगाने का तर्क दिया गया अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, कथन किया गया कि "प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक" को अनुसूची–IV के इन्द्राज संख्या–195 में दिनांक 26.03.2012 से शामिल किया गया है । अतः दिनांक 09.03.2011 के इन्द्राज के आलोक में, केवल "रोटो मोल्डेड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक" ही शामिल है एवम् अपीलार्थी व्यवहारी विक्रीत माल "रोटो मोल्डेड प्लास्टिक स्टोरेज टैंक" नहीं है । अतः प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अधर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, यह पीठ यह अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 टैक्स अपडेट 185 व माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 608/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 30.03.2012 मैसर्स वैक्ट्स इण्डस्ट्रीज़ लि., जी–854, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–प्रथम, जयपुर में पारित निर्णय के आलोक में प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया मांग राशि रु. 8,79,890/–की वसूली पर, निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह तक, जो भी पहले हो, के लिये रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
अध्यक्ष